राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या-759/2017/जयपुर

2. अपील संख्या-760/2017/जयपुर

3. अपील संख्या-761 / 2017 / जयपुर

अपील संख्या—762 / 2017 / जयपुर

अपील संख्या–763 / 2017 / जयपुर

....अपीलार्थी.

....प्रत्यर्थी

6. अपील संख्या-2613/2016/जयपुर

अपील संख्या—2614/2016/जयपुर

अपील संख्या—2615 / 2016 / जयपुर

अपील संख्या—2616/2016/जयपुर

अपील संख्या—2617 / 2016 / जयपुर

....अपीलार्थी.

.....प्रत्यर्थी

मैसर्स हिन्दुस्तान कोका कोला ब्रेवरेजेज प्रा. लि. कालाडेरा रीको इंडस्ट्रियल एरिया, जयपुर बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राज., वृत द्वितीय, जयपुर।

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राज., वृत द्वितीय, जयपुर।

मैसर्स हिन्दुस्तान कोका कोला ब्रेवरेजेज प्रा. लि. कालाडेरा रीको इंडस्ट्रियल एरिया, जयपुर

> खण्डपीठ श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष श्री राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : श्री विवेक सिंघल अभिभाषक श्री एन.के. बैद उप राजकीय अभिभाषक

..... व्यवहारी की ओर से.

......राजस्व की ओर से. दिनांक : 22.11.2017

निर्णय

1. अपील संख्या 759/2017 लगायात 763/2017/जयपुर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा एवं अपील संख्या 2613/2016 लगायत 2617/2016/जयपुर विभाग द्वारा अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 13.12.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत्त-द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25, 55, 61 एवं 65 के अन्तर्गत पारित आदेशों के जरिये कर एवं व्याज मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार किये जाने पर अधिनियम की धारा 83 के तहत् विवादित किया है, इसके साथ ही विभाग द्वारा भी अधिनियम की धारा 61 के तहत् आरोपित शास्ति को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने के विरुद्ध अपीलें प्रस्तुत की गई है, अपीलों का विवरण निम्न तालिकानुसार है :--

aminul

M

लगातार.....2.

अपील सं.	अपी.अघि. की अपी. सं.	अपीलीय अधिकारी का आदेश दिनांक	कर निर्धारण आदेश दिनांक	कर निर्धा.वर्ष	विवादित कर	ब्याज	शास्ति अन्तर्गत धारा 61
759/17	200/अ.प्राII/आरवीएटी	13.12.2016	21.07.2016	10-11	21759956	15667168	-
760/17	201/अ.प्राII/आरवीएटी	13.12.2016	21.07.2016	11-12	30032173	18019304	-
761/17	202/अ.प्रा.—II/आरवीएटी	13.12.2016	21.07.2016	12-13	43372122	20818619	
762/17	203/अ.प्रा.—II/आरवीएटी	13.12.2016	21.07.2016	13-14	46465828	16727698	-
763/17	204/अ.प्राII/आरवीएटी	13.12.2016	21.07.2016	14-15	32652623	7836631	-
2613/16	200/अ.प्राII/आरवीएटी	13.12.2016	21.07.2016	10-11	-	-	43519912
2614/16	201/अ.प्राII/आरवीएटी	13.12.2016	21.07.2016	11-12	-	-	60064346
2615/16	202/अ.प्रा.—II/आरवीएटी	13.12.2016	21.07.2016	12-13	-	4	86744244
2616/16	203/अ.प्रा.—II/आरवीएटी	13.12.2016	21.07.2016	13-14	_	=	92931656
2617/16	204/अ.प्राII/आरवीएटी	13.12.2016	21.07.2016	14-15	-	-	65305246

- 2. समस्त प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जा रहा है। निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।
- 3. उक्त समस्त प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 20.08.2015 को अपीलार्थी कम्पनी के व्यवसायिक स्थल का सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण में पाया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा Maaza एवं Minute Maid नामक उत्पादों की बिकी आरवेट अधिनियम की अनुसूची चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 107 "Processed or preserved vegetables and fruits including fruit jam, jelly, pickle, fruit squash, paste, fruit drind and fruit juice, sharbat and thandai" से आच्छादित मानते हुए इसके विकय पर 5 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा माना गया कि अपीलार्थी द्वारा बिकीत उत्पाद आरवेट अधिनियम की अनुसूची पंचम के तहत् 14/14.5 प्रतिशत से कर योग्य वस्तु है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश में उपरोक्त तालिका अनुसार अंतर कर एवं ब्याज का आरोपण किया गया तथा अपीलार्थी द्वारा करापवंचन मानते हुए अधिनियम की धारा 61 के तहत् शास्ति का आरोपण किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा उक्त अपीलें प्रस्तुत की गयी है।
- 4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।
- 5. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि उसका उत्पाद Maaza एवं Minute Maid अधिनियम की अनुसूची V 16(vi) के अन्तर्गत करारापेण किया गया, जो अविधिक है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 29.07.2014 तक विवादित उत्पादों के विकय पर राजस्थान वेट अधिनियम की अनुसूची चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 107 के तहत् 5 प्रतिशत की दर से कर विधिक रूप से वसूल किया जाकर राजकोष में जमा करवाया गया। जबकि निर्धारण अधिकारी द्वारा इसे उक्त प्रविष्ठि के तहत न मानकर अनुसूची V में मानते हुए 14/14.5 प्रतिशत की दर से कर देयता मानकर अन्तर कर की राशि, शास्ति व ब्याज आरोपित किया गया, जिसे अवैध बताते हुए तर्क किया

लगातार......3.



कि उसका उत्पाद माजा एवं मिनिट मेड फूट ड्रिंक एवं फूट पल्प ड्रिंक हैं जो प्रोसेस्ड (Processed) एवं प्रिजर्वड् फूट (Preserved Fruit) के ही अंग है। अतः अपीलार्थी द्वारा बिकीत उक्त उत्पाद फूट ड्रिंक है। कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा बिकीत उत्पाद को Fruit pulp drink की श्रेणी में मानते हुए करारोपण किया जबकि कोई भी Fruit drink बिना फल के गूदे (Pulp) के नहीं बनाया जा सकता। प्राकृतिक रूप से कुछ ही फलों जैसे नारियल से पीने योग्य अवस्था में Fruit Drink प्राप्त होगा। शेष फलों जैस मौसमी, संतरा, सेब, अनानास, अंगूर, अनार इत्यादि से भी पेश पदार्थ निकालने के लिये उन्हें दबाना, मथना और निचोड़ना पड़ेगा। कर निर्धारण अधिकारी की अवधारणा के अनुसार तो केवल नारियल से प्राप्त पानी ही फूट ड्रिंक होगा तथा अन्य समस्त फलों से प्राप्त ड्रिंक फूड पल्प ड्रिंक की श्रेणी में आयेंगे।

- 6. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने तर्क के समर्थन में
 - (1.) The High Court Guwahati Pepsico India Holding Pvt. Ltd. Vs The State of Assam Dated 28.04.2009.
 - (2.) High Court of Uttarakhand Ms Shriya Enterprises Vs Commissioner, Uttarakhand Dehradun Dated 20.10.2011
 - (3.) High Court of Punjab & Haryana Ms Pepoico India Holdings Pvt. Ltd. Vs The State of Punjab dated 18.05.2010
 - (4.) High Court of Madras Pepsico India Holdings Pvt. Ltd. Vs Commissioner of Commercial Taxes Dated 10.11.2009
 - (5.) Before the Commercail Taxes Tribunal Ranchi Ms Pepsico India Holdings Pvt. Ltd. Vs State of Jharkhand Dated 24.02.2015
 - (6.) राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर अपील संख्या 428/2004/जयपुर सहायक आयुक्त बनाम मैसर्स अंकल चिप्स कम्पनी प्रा०लि०, जयपुर दिनांक 18.01.2005
 - (7.) राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर अपील संख्या 2059 / 2007 / जयपुर मैसर्स पेप्सीको इण्डिया होल्डिंग प्रा०लि०, जयपुर बनाम उपायुक्त (अपील्स) चतुर्थ, जयपुर दिनांक 16.05.2008 सेल्स टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल आंध्रप्रदेश, हैदराबाद द्वारा अपील संख्या 431 / 2007 में पारित निर्णय दिनांक 04.07.2007

उक्त न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि आंध्रप्रदेश वेट अधिनियम, 2005 की अनुसूची IV की प्रविष्टि संख्या 107 भी अधिनियम के अनुरूप है एवं उक्त निर्णय में आंध्रप्रदेश सेल्स टैक्स ट्रिब्यूनल ने पोटेटो चिप्स को प्रोसेस्ड वेजिटेबल माना है।

इन्कलूडिंग शब्द रेस्ट्रिक्टीव है, अपने तर्कों की पुष्टि के समर्थन में निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये :-

July XV

लगातार.....4.

4 अपील संख्या— 759/2017 लगायत 763/2017/जयपुर तथा 2613/2016 लगायत 2617/2016/जयपुर

- Bharat Forge and Press Industries (P) Limited Vs Central Excise [(1990) 1 SCC 532]
- 2. Eskayf Limited Vs Collector of Central Excise [(1990) 4 SCC 680]
- 3. Dunlop India Limited Vs Union of india (1976) 2 SCC 241
- 4. Commissioner of Sales Tax, M.P., Indore Vs Jaswant Singh Charna Singh [19 STC 469 (SC)]
- 5. Ravi Agencies Vs State of Andhra Pradesh [74 STC 187]
- 6. IT Commr. A.P. Vs Taj Mahal Hotel [AIR 1972 SC 168]
- 7. Commercial Tax Officer Vs Rajasthan Taxchem Limited [2007] 5 VST 529 (SC)

इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का उल्लेख करते हुए यही तर्क प्रस्तुत किया गया है कि Maaza एवं Minute Maid एक फूट ड्रिंक है जो अनुसूची IV की प्रविष्टि संख्या 107 में स्पष्ट रूप से वर्गीकृत (Classified) है जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा कर संग्रहित कर जमा करवाया गया है। कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी द्वार अन्तर कर के संबंध में पारित आदेश तथ्यात्मक व विधिक दृष्टि से न्यायोचित नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य हैं अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार किये जाने योग्य व अपीलीय अधिकारी के शास्ति को अपास्त किये जाने के आदेशों के विरुद्ध राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

- 7. राजस्व/विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं कर व ब्याज के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति अपास्त किये जाने को विधि एवं तथ्यों के विपरित कथित करते हुए राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।
- 8. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया तथा रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।
- 9. अपीलार्थी द्वारा आक्षेपित लेखा वर्षों में आम के गूदे से तैयार फूड ड्रिकं माजा एवं मिनिट मेड उत्पादों का विकय किया गया हैं। जिसमें अपीलार्थी द्वारा वेट अधिनियम के शैडयूल चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 107 के अन्तर्गत दिनांक 13.07.2014 तक 5 प्रतिशत की दर से कर योग्य मानते हुए कर जमा कराया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा माजा को फूड ड्रिकं/जूस नहीं होना मानते हुए और वेट अधिनियम की कर दर अनुसूची I, II, III, IV, VI में कहीं भी वर्णित नहीं होने के कारण कर दर अनुसूची V के अन्तर्गत शेष वस्तुओं के रूप में 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य होना

लगातार......5.

am'-n'lun!

Ale

निर्धारित किया गया है। इस प्रकार उक्त प्रकरणों में यह तथ्य विवादित है कि आम के गूदे से तैयार पेय पदार्थ Maaza एवं Minute Maid फूट ड्रिंक से भिन्न है अथवा नहीं तथा इस पर कर देयता क्या होगी? इस संबंध में वेट अधिनियम की अनुसूची चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 107 एवं अनुसूची पंचम की प्रविष्टि संख्या 16(6) का उल्लेख करना समीचीन है। वेट अधिनियम की अनुसूची 4 प्रविष्टि सं. 107 निम्न प्रकार है:-

107 "Processed or preserved vegetables and fruits including fruit jam, jelly, pickle, fruit squash, paste, fruit drind and fruit juice, sharbat and thandai" "107 Processed or preserved vegetables and fruits including fruit jam, jelly, pickle, fruit squash, paste, fruit drink and fruit juice (whether in sealed containers or otherwise)"

आरवेट अधिनियम अनुसूची पंचम की प्रविष्टि संख्या 16 (VI) दिनांक 14.07.2014 से स्थापित की गयी है जो निम्न प्रकार है:-

"Beverages including coffee drinks hot and cold instant coffee, espresso coffee, flavoured/non flavoured tea, ice tea, mile shakes, thick shakes, ice cream shakes, flavoured milk, fruit pulp drink, squash (Excluding beverages specifically mentioned in any other schedule)"

उक्त प्रविष्टि संख्या 16 (VI) को पुनः दिनांक 30.07.2014 को विधायिका द्वारा संशोधित किया गया, जो निम्न प्रकार है:-

"Beverages including coffee drinks hot and cold instant coffee, espresso coffee, ice tea, mile shakes, thick shakes, ice cream shakes, packed flavoured milk, packed fruit drink, packed fruit juice (Excluding beverages specifically mentioned in any other schedule)"

प्रविष्टियों की संशोधन से पूर्व व पश्चात् की स्थिति को तालिका द्वारा स्पष्ट कसार समीचीन होगा:-

Peiod	Schedule -IV	Schedule-V		
upto 14-07-2014	Entry No. 107 Processed or preserved vegetables or fruits including fruit jam, jelly, pickle, fruit swuash, paste, fruit drink and fruit juice (whether in sealed containers or otherwise), sharbat and thandai.	Residual schedule		
from 14-07-2014 to 29-07-2014	Entry No. 107 No Change	Enter No 16(vi) added; beverages including coffee drinks hot and cold instant coffee, espresso coffee, flavored/non flavored tea, ice ice tea, mile shakes, thick shakes, ice cream shakes, flavoured milk, fruit pulp drink, squash (Excluding beverages specifically mentioned in any other schedule)"		
from 30-07-2014	Entry No. 107 Processed or preserved vegetables or fruits, pickle, fruit squash fruit juice when sold loose, sharbat and thandai	Entry No 16(vi) amended: "Beverages including coffee drinks hot and cold instant coffee, espresso coffee, ice tea, mile shakes, thick shakes, ice cream shakes, packed flavoured milk, packed fruit drink, packed fruit juice (Excluding beverages specifically mentioned in any other schedule)"		

amountant

उक्त प्रविष्टियों के अध्ययन से स्पष्ट है कि fruit drink दिनांक 13.07.2014 तक अनुसूची IV की Entry No 107 के अनुसार 5 प्रतिशत से कर योग्य थे एवं दिनांक 14.07.2014 से fruit pulp drink अनुसूची संख्या 5 की प्रविष्टि सं 16 (VI) के अन्तर्गत 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य थे। दिनांक 30.07.2014 को विधायिका द्वारा उक्त प्रविष्टि को पुनः संशोधित करते हुए Fruit pulp drink के स्थान पर Packed fruit drink, packed fruit juice शब्द अंकित किये गये है तथा अनुसूची IV की Entry No 107 से fruit drink को दिया गया। इस संबंध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा बिकीत उत्पाद माजा एवं मिनिट मेड फूट ड्रिंक नहीं होकर फूट पल्प ड्रिंक हैं। जो वेट अधिनिमय की Residuary List अनुसूची V के तहत् सामान्य दर से कर योग्य वस्तु की श्रेणी में माने जायेंगे। जिसका आधार मुख्यतः अनुसूची 5 की प्रविष्टि संख्या 16(VI) को बनाया गया है। इसके अतिरिक्ति कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के प्रकरण में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 62 एसटीसी 388 एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा जारी स्पष्टीकरण को भी आधार बना कर कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा बिकीत उत्पाद Maaza एवं Minute Maid को आम के गूदे (Pulp) से निर्मित होना मानकर Fruit pulp drink की श्रेणी में मानकर fruit drink से पृथक किया और Residuary List में सामान्य कर दर से करारोपण किया

10. इस बिन्दु पर अपीलार्थी का तर्क है कि कोई भी Fruit drink बिना फल के गूदे (Pulp) के नहीं बनाया जा सकता। प्राकृतिक रूप से कुछ ही फलों जैसे नारियल से पाने योग्य अवस्था में fruit drink प्राप्त होगा। शेष फलों जैसे मौसमी, संतरा, सेब, अनानास, अगूर, अनार इत्यादि से भी पेय पदार्थ निकालने के लिये उन्हें दबाना, मथना और निचोड़ना पड़ेगा। इन फलों में गूदे की मात्रा कम और रेशेदार होती है तथा तरल की मात्रा अधिक होती है। इसी प्रकार आम, केला, पपीता, चीकूं, बील इत्यादि में गूदे की मात्रा अधिक तथा तरल की मात्रा कम होती है। चूंकि इन फलों में गूदे की मात्रा अधिक और रेशे रहित होती है इसलिये प्राप्त तरल काफी गाढ़ा होता है। जिसे पीने योग्य बनाये जाने के लिये पानी या दूध मिलाया जाना आवश्यक होता है चूंकि इनके गूदे में रेशे नहीं होते है इसलिये गूदा स्वयं ही तरल का भाग बन जाता है। जबिक रेशेदार फलों जैसे मौसमी, संतरा, सेब, अनानास, अनार इत्यादि से तरल पदार्थ निकालने के बाद उनके गूदे/छिलके/बीज/रेशे शेष रह जाते है जो पीने योग्य नही होते है। जबिक आम अत्यादि फलों का गूदा (Pulp) मथने के बाद तरल पेय पदार्थ का ही भाग बना जाता है।



लग	ता	₹			7
11	1711		 	 	

11. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का यह भी तर्क रहा है कि विधायिक की मंशा भी fruit drink और fruit pulp drink को भिन्न-भिन्न वस्तु मानते की नहीं है। क्योंकि स्वयं अपीलार्थी द्वारा वेट अनुसूच 5 प्रविष्टि सं 16 (VI) में दिनांक 14.07.2014 से अधिसूचित शब्द fruit pulp drink के स्थान पर दिनांक 30.07.2014 को संशोधित करते हुये packed fruit drink किया गया है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि फलों के गूदे से निर्मित पेय पदार्थ भी fruit drink ही कहलायेगें। जिस पर दिनांक 13.07.2014 तक कर देयता 5 प्रतिशत और दिनांक 30.07.2014 से पैक्ड नहीं होने पर 5 प्रतिशत और packed होने पर 14 प्रतिशत होगी। अप्रीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा आगे यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी का उत्पाद आम के गूदे (Pulp) से तैयार किया जाता है और अन्य घटक भी मिलाये जाते है लेकिन उसमें पानी, शक्कर एवं अन्य घटक मिलाने के पश्चात् भी वह furit drink ही रहता है। अतः Fuit pulp से तैयार किया गया पेय Fuit drink ही रहता है। अतः Fruit pulp से तैयार किया गया पेय fruit drink की श्रेणी में माना जायेगा। जैसाकि ऊपर विवेचना की जा चुकी है। कि अधिकांशतः फलों में गूदा (Pulp) ही होता है। लेकिन उनमें तरलता/संघनता की मात्रा कम या अधिक हो सकती है। केवल तरलता / संघनता के मापदण्ड के आधार पर अपीलार्थी द्वारा बिकीत उत्पाद को Furit drink की श्रेणी से बाहर नहीं किया जा सकता।

12. इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के प्रकरण में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय मै वरूण ब्रेवरेजिस लि. बनाम कमीशनर (2013) 62 वीएसटी 388 को आधार बनाते हुये अपीलार्थी द्वारा बिकीत उत्पाद को 14 प्रतिशत से कर योग्य बताया है। उक्त प्रकरण दिल्ली वेट अधिनियम की अनुसूची 1 की प्रविष्टि सं. 47 की व्याख्या से संबंधित था। प्रविष्टि सं. 47 निम्न प्रकार है:—

"All Kinds of preserved foods articles when sold in sealed containers."

माननीय न्यायालय ने उक्त प्रविष्टि की व्याख्या करते हुये निम्न प्रकार से अवधारित किया है कि :--

"The expression "preserved food articles" calls for interpretation in this case. As noticed previously, there is no specific entry which deals with the beverages or for that matter fruit based drinks or juices, however, there is some legislative indication as far as liquor and concentrated drinks are concerned. The question is therefore, that the court had to address whether a mango pulp based drink is a "food article" within the meaning of the expression under entry 47 of the First Schedule."

aminimit 16

लगातार.......8.

उक्त न्यायिक दृष्टांत में विभाग द्वारा "स्लाइस" को Preserved food article की श्रेणी में माना जाकर 12 प्रतिशत की दर से करारोपित किया जा रहा था। जबिक अपीलार्थी का कथन था कि उसके द्वारा बिकीत उत्पाद "स्लाइस" Preserved food article की श्रेणी में नहीं आने के कारण 8 प्रतिशत की सामान्य कर दर से कर योग्य है। उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा बिकीत उत्पाद स्लाईस को Preserved food article की श्रेणी में नहीं माना है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली वेट अधिनियम में Fruit drinks से संबंधित कोई प्रविष्टि नहीं थी। किन्तु यहां विवादित बिन्दू Preserved food article (संरक्षित खाद्य वस्तु) से संबंधित नहीं हैं वरन Fruit drink से संबंधित है, जो कि न तो वेट अधिनियम दिल्ली की इस प्रविष्टि में सम्मिलित है और न ही माननीय न्यायालय के समक्ष विवादित था। अतः उक्त निर्णय कर निर्धारण अधिकारी की कोई सहायता नहीं करता है।

13. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि Residuary List में करारोपण किये जाने के लिये केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा जारी स्पष्टीकरण को भी आधार बनाया गया। उक्त स्पष्टीकरण में सी.बी.ई. एण्ड सी.के. समक्ष यह बिन्दू विवादित था कि Fruit pulp based drink में frozen fruit pulp based drink भी शामिल होगे अथवा नहीं एवं क्या Fruit pulp based drink में fruit juice या fruit juice concentrate शामिल रहेगें अथवा नहीं। उक्त प्रश्न का स्पष्टीकरण देते हुये सी.बी.ई. एण्ड सी. द्वारा प्रतिपादित किया गया।

केन्द्रीय सीमा उत्पाद बोर्ड, दिल्ली के द्वारा Classification of drinks made from frozen fruit pulp, fruit pulp concentrates and fruit pulp के संबंध में दिया गया स्पष्टीकरण (परिपत्र कमांक 309/25/97—सीएक्स दिनांक 31.03.97) निम्न प्रकार है:—

".....As per HSN Explanatory Note at page 152 & 154 it is seen that the fruit juices can be generally obtained by pressing fresh health and ripe fruit which may not be proceeded cither by crushing or gridding. Certain juices, however (in particular those obtained from pulpy fruits such as Apricots, Peaches and Tomatoes) still contain part of the pulp in finely divided form cither in suspension or as a deposit. The juices may be concentrated (whether or not frozen). Therefore, as per the HSN Explanatory Notes the concentrated (w fruit juice as well as fruit concentrate can be frozen or otherwise. But a distinction has made between fruit pulp and fruit juice or fruit juice concentrate as fruit pulp covered under Chapter Heading 20.08 of the HSN and fruit juice is covered under Heading 2009 of the list though in the CET fruit pulp and fruit juice arc 20.01 in the absence of separate subheadings provided there under. The tariff entry against sub-heading 2202.30 of the CET covers fruit pulp based drinks. The or fruit pulp shall include frozen fruit pulp but shall not cover fruit juice pulp based not) or fruit juice लगातार.....9.

amen's

No

concentrate. Of the view that fruit drinks classifiable under Chapter Heading 2202.3 will include frozen fruit pulp based drinks also, However, the term "fruit pulp based drinks" would not include fruit juice or fruit juice concentrate based drinks. The fruit pulp based drinks will appropriately be covered under Chapter Heading 2202.91 2202 99 as the case may be......" इस प्रकार फलों से निर्मित पेय पदार्थों को मुख्यतः तीन उत्पादों में विभाजित किया गया है:—

Fruit Drinks:

Ordinary fruit drinks contains a small percentage of juice of fruit. The first and lowest quality of mango drinks makes use of water, sugar, preservatives and fruit essence. In this mango essence too is not derived from the fruit Instead, it is a synthetic chemical that resembles the flavour of the fruit.

Fruit Juice as well as Fruit Concentrate:-

Higher up the category that contains some part of of the preserved fruit concentrate, or 100% fruit juice, sugar and water,

Fruit Pulp Drink:-

The third category composes of real fruit pulp, concentrate, water and sugar अपीलार्थी व्यवहारी का उत्पाद माजा एवं मिनिट मेड फलों के गूदे से बनने के कारण इस श्रेणी में आच्छादित है।

उक्त स्पष्टीकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के समक्ष fruit pulp based drink एवं fruit juice concentrate के वर्गीकरण का मामला विवादित था एवं सी.बी.ई. एण्ड सी. द्वारा उक्त वस्तुओं के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया है। उक्त स्पष्टीकरण में Fruit Drink क्या होगा के संबंध में किसी भी प्रकार का विवेचन नहीं किया गया है। जबकि हस्तगत प्रकरण (माजा) Fruit drink की कर देयता से संबंधित है। इसलिये कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त स्पष्टीकरण के आधार पर माजा एवं मिनिट मेड जो कि Fruit drink है की कर देयता निर्धारित करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

14. कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा बिकीत उत्पाद "माजा एवं मिनिट मेड" (Maaza and Minite Maid) को उच्च कर दर से करारोपित किये जाने का आधार दिनांक 14.07.2014 को वेट अधिनियम की अनुसूची पंचम की प्रविष्टि सं. 16 (VI) में शब्द Fruit Pulp Drink प्रतिस्थापित किया जाना माना है। इस संबंध में यहा उल्लेख करना समीचीन होगा कि वेट कर दर अनुसूची पंचम की उक्त प्रविष्टि अपीलर्थी द्वारा दिनांक 14.07.2014 से लागू की गयी है। जिसकी प्रभावशालीता भूतलक्षी प्रभाव से अधिसूचित नहीं की गयी है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश उक्त दिनांक से पूर्व की अविध के लिये पारित किया गया है। इंसलिये कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश द्वारा अपीलार्थी के उत्पाद को दिनांक 14.07.2014 के संशोधन के पूर्व Residury List की प्रविष्टि सें आच्छादित मानना विधिस्ममत नहीं है।

लगातार.....10.

15. किसी संशोधन के भूतलक्षी प्रभाव के वैधानिकता के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत मैसर्स गोविन्ददास एवं अन्य बनाम इन्कम टैक्स आफीसर (1996) 103 आईटीआर 123 में यह अभिनिर्धारित किया गया है :--

"It is well- settled rule of interpretation that unless the term of the statute expressly so provide or necessarily require it, retrospective operation should not be given to a statutes so as to take away or impair an existing right or create a new obligation or impose a new liability otherwise than as regards matters of procedure. If the enactment is expressly in language which is fairly capable of either interpretation it ought to be construed as prospective only."

- 16. इसी प्रकार का मत निम्न लिखित न्यायिक दृष्टान्तों में भी प्रतिपादित किया गया है:--
 - Commissioner of Income Tax Vs. Champarun Sugar works limited (1997) 225 ITR 863
 - 2. S.B. Gurbax Singh Vs. Union of India (1976) 37 STC 301
 - 3. Commissioner Sales Tax Vs. Sada Nand Arya (1979) 43 STC 396
 - 4. K.M. Sharma Vs. Income Tax Officer (2002) 254 ITR 772
 - 5. Co Operative Co. Ltd. Vs. CTT (2007) 7 VST 174

उक्त न्यायिक निर्णयों में प्रतिपादित किये सिद्धान्तों के अनुसार किसी व्यक्ति के अधिकार को अधिनयम/नियम/अधिसूचना/संशोधन से भूतलक्षी प्रभाव से लागू कर समाप्त नहीं किया सकता है। हस्तगत प्रकरण में कर निर्धारण आदेश दिनांक 14.07. 2014 से पूर्व की लेखा अवधि से संबंधित है। अतः माननीय न्यायालयों के न्यायिक निर्णयों के प्रकाश में दिनांक 14.07.2014 को अधिसूचित की गयी अनुसूची पंचम की प्रविष्टि संख्या 16 (VI) के आधार पर इस दिनांक से पूर्व की अवधि में हुये विकय संव्यवहारों की कर देयता निर्धारित नहीं की जा सकती है।

17. श्रीमान् आयुक्त बिकी कर प. बंगाल द्वारा पश्चित बंगाल मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 की धारा 102 के अन्तर्गत समान बिन्दू पर आदेश दिनांक 09.12.2015 के द्वारा यह विनिर्धारित किया है कि:—

"From the words used in the foregoing entry it is evident that both, fruit drink as well as fruit juice are covered under the entry. Further, the entry does not exclude fruit juice mixed with other ingredients but the exclusion applies when the drink or juice does not contain any fruit extracts, as in the case of fruit flavoured chemically prepared drinks or juices.

In view of the forgoing discussion rate of tax applicable to the sale of juice containing a mixture of mango juice and also vera pulp is held to be 5 percent under section 16(2)(b)(ii) of the West Bengal Value Added Tax Act, 2003 vide entry as serial no 58B of part I of Schedule C."

18. पश्चिम बंगाल वेट अधिनियम की कर दर से शेडयूल सी के भाग प्रथम की प्रविष्टि सं. 58बी निम्न प्रकार है:-

लगातार.....11.

"Processed and preserved vegetable and fruits, other than dry fruits, but including fruit jams, jelly, sauce, fruit squash, fruit paste, fruit drink and fruit juice whether in seals container's or not, and wet dates, but excluding those not containing any fruit or vegetable extract"

उक्त प्रविष्टि में Fruit drink and Fruit juice राजस्थान वेट अधिनियम की कर दर अनुसूची चतुर्थ की प्रविष्टि सं. 107 के समान ही अंकित है। अतः जब आम रस के साथ एलोवरा का गूदा (Pulp) मिश्रित करने के पश्चात् भी श्रीमान आयुक्त पं. बंगाल द्वारा Fruit drink माना गया है। अतः उक्त न्यायिक दृष्टांत के आलोक में अपीलार्थी द्वारा बिकीत उत्पाद Fruit Drink की श्रेणी में आता है।

19. अपीलार्थी के द्वारा अपने उत्पाद को Fruit Drink की श्रेणी में मानते हुये 5 प्रतिशत की दर से करारोपण योग्य माना हैं किन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के इस तर्क को अमान्य करते हुये कर देयता 14 प्रतिशत कर दर से निर्धारित की गयी है। इस संबंध में विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि यदि किसी वस्तु की कर देयता के बिन्दु पर व्यवहारी से मत भिन्नता है और उस वस्तु पर कर निर्धारण अधिकारी उच्च कर दर आरोपित करना चाहता है तो burden of proof राजस्व / कर निर्धारण अधिकारी पर होगा। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने Commissioner of Center Excise Vs. Sharma Chemical Works (2003) 132 STC 251 में निम्न प्रकार से अभिनिर्धारित किया गया है:—

"It is settled law that the onus or burden to show that a product falls within a particular tariff item is always on the revenue."

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने State of Rajasthan Vs. Deys Medical Stores (2007) 19 Tax Update 97 में निम्न प्रकार से अभिनिर्धारित किया गया है:-

"It iwas admitted by Mr. R.B, Mathur that no material or evidence was placed by the department that these two products namely, "keo karpin hair vitalizer and keo karpin baby oil" were cosmetics. That the burden of proving that a particular product falls in a particular entry is no the revenue. The department has miserable failed to discharge its burden."

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत [2016] 94 VST 83 (SC) STATE OF MADHAY PRASDESH AND OTHERS vs. MARICO INDUSTRIES LTD. मे भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि –

"Burden on Taxing authority to prove particular item taxable as claimed by it."

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के अध्ययन से स्पष्ट है कि किसी वस्तु पर उच्च कर दर से करारोपण करने के आधार को प्रमाणित करने का भार राजस्व कर निर्धारण अधिकारी पर होगा, जिसका निर्वहन हस्तगत प्रकरणों में किया जाना प्रकट नहीं होता हैं अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश न्यायोचित प्रतीत नहीं होते

gi manim yr

लगायत २६१७ / २०१६ / जयपुर

20. अधिनियम की अनुसूची चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 107 में विधायिका ने Fruit drink शब्द का उल्लेख किया है। उक्त शब्द के साथ किसी भी प्रकार का उपसर्ग (Prefix) या प्रत्यय (Suffix) नहीं जोड़ा गया है। यदि विधायिका की मंशा Fruit Pulp से निर्मित पेय पदार्थ का Fruit drink में सम्मिलित करने की नहीं होती तो वह इसे उक्त प्रविष्टि में स्पष्ट कर सकती थी जैसा दिनांक 14.07.2014 के संशोधन द्वारा अनुसूची V की प्रविष्टि में Fruit Pulp Drink को सम्मिलित करके किया गया। इस प्रकार जब तक प्रविष्टि सं. 107 में Fruit Drink शब्द अंकित है एवं Fruit Pulp Drink की पृथक प्रविष्टि नहीं है तब तक उक्त शब्द में फलों से निर्मित समस्त प्रकार के पेय पदार्थ सम्मिलित माने जायेंगे। इस संदर्भ में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टांत Chauhan Pan Bhandar Vs. ACTO (1965) 16 RRD 3 निम्न प्रकार से अभिनिर्धारित किया गया है:-

"The exemption clauses appearing in taxation laws should be reasonably interpreted. The interpretation should neither be so liberal that it may promote fraud and open flood gates for the tax payers to evade the tax by subtle and dishonest devices nor it should be so narrow and unreasonable that the remedy provided by the legislature becomes only nominal and the very object which is sought to accomplish is defeated. It should be given its full and reasonable scope and amplitude so long as noviolence is done to the language used and the exernpting should not be whittled down by improting limitiations not inserted or contemplated by legislature.

इस प्रकार फूट ड्रिंक (Fruit Drink) एक विस्तृत वर्गीकरण है जिसमें फूट पल्प ड्रिंक (Fruit Pulp Drink) भी सम्मिलत है जब फूट पल्प ड्रिंक को विधायिका द्वारा फूट ड्रिंक (Fruit Drink) से पृथक वर्गीकृत कर Specific Entry में नहीं रखा गया है तब फूंट ड्रिंक (Fruit Drink) से फूट पल्प ड्रिंक को बिना Specific Entry पृथक वर्गीकृत (Classified) करना मनमाना वर्गीकरण (Arbitrary Classification) है तथा इसे एक Reasonable Classification (युक्तियुक्त वर्गीकरण) नहीं कहा जा सकता। अतः दिनांक 14.07.2014 के संशोधन के पूर्व तक अपीलार्थी द्वारा बिकीत उत्पाद माजा एवं मिनिट मेड वेट अधिनियम के प्रविष्ट सं. 107 के अन्तर्गत कर योग्य है।

अतः दिनांक 14.07.2014 को वेट अधिनियम की अनुसूची V की प्रविष्टि संख्या 16(VI) में फूट पल्प ड्रिंक (Fruit Pulp Drink) को जोड़ने एवं दिनांक 30.07.2014 के संशोधन द्वारा अनुसूची V की प्रविष्टि 16(VI) में Fruit Pulp Drink को हटाकर Packed Fruit Drink जोड़ने एवं अनुसूची IV के प्रविष्टि सं. 107 के Packed Fruit Drink को हटाने से अपीलार्थी का उत्पाद दिनांक 14.07.2014 से वेट अधिनियम की Resuiduary list अनुसूची V से सामान्य कर से कर योग्य है।

लगातार......13.

Jun / Jun

इस प्रकार अपीलार्थी का उत्पादों पर आक्षेपित लेखा वर्षों में दिनांक 13.07.2014 तक अधिनियम की अनुसूची IV की प्रविष्टि 107 के अन्तर्गत Fruit Drink के अनुसार कर देयता है तथा दिनांक 14.07.2014 से अधिनियम की अनुसूची V के अनुसार सामान्य कर दर से कर देयता है।

उपर्युक्त विवेचन एवं न्यायिक निर्णयों के आलोक में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2010—11, 2011—12, 2012—13, 2013—14 एवं 2014—15 के लिये पृथक—पृथक पारित आदेश दिनांक 21.07.2016 में अपीलार्थी के उत्पादों पर दिनांक 13.07.2014 तक की कर देयता का आरोपित अंतर कर व तद्नुसार आरोपित ब्याज अविधिक होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

21. जहां तक प्रकरण में रा.मू.प.क.अ.ए. 2003 की धारा 61 के अन्तर्गत आरोंपित शास्ति को अपास्त किये जाने के विरूद्ध राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या कमशः 759/2017/जयपुर लगायत 763/2017/जयपुर तथा 2613/2016/जयपुर लगायत 2617/2016/जयपुर प्रश्न है, इस संबंध में राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा कर निर्धारण आदेश का समर्थन करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अविधिक रूप से शास्ति को अपास्त किया गया है। इसके विपरित व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति को अपास्त किये जाने के आदेश का समर्थन करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किय है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कोई संव्यवहार प्रस्तुत बिकी विवरण प्रपत्रों से छिपाया नहीं गया है तथा समस्त संव्यवहार अपीलार्थी को लेखा पुस्तकों में दर्ज है तथा न ही प्रकरणों में कर का कोई अपवंचन ही हुआ है। उनका तर्क है कि विवाद अपीलार्थी द्वारा बिकीत वस्तुओं के वर्गीकरण व कर दर से संबंधित है। अतः माननीय न्यायालयों के द्वारा दिये गये न्यायिक निर्णयों के प्रकाश में शास्तियाँ आकर्षित नहीं होती है। इस संबंध में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का उल्लेख किया जाना समीचीन है:—

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील संख्या 5134—5135 मैसर्स श्री कृष्णा इलेक्ट्किल्स बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु एवं अन्य निर्णय दिनांक 21.04.2009 23वीएसटी 249 में प्रकरण में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया :—

"So far as the question of penalty is concerned the items which were not included in the turnover were found in incorporated in the appellant's account books where certain items which are not included in the turnover are disclosed in the dealer's own account books and the assessing authorities includes these items in the dealers turnover disallowing the exemption penalty cannot be imposed. The penalty levied stands set aside."

N. A.	
aminimal .	7/
· William	200

लगाता	₹	.1	4

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा में रा.म.प.क.अ. 2003 की धारा 61 के प्रावधानों पर विचार करते हुये निम्न प्रकार से अभिनिर्धारित किया है:—

"......While interpreting the penalty provision of Section 11-AC of th Act, the Hon ble Supreme Court in the case of Commissioner of Central Excise Vapi vs. Kisan Mouldings Limited (201015 SCC 100] has held that where a mistake in the non payment short payment of tax was bona fide and there was no apparent intention to evade tax by the assessee imposition of penalty under Section 11-AC would not be justified. Reverting to the facts of the present case, the Tax Board has held that during the period relevant to assessment of tax as against the assessee under the 2003 Act, was an admitted fact that all sale transactions conducted by the assessee in the year relevant to in Rajasthan were indicated in its books of accounts and also duly invoiced There was no attempt to defraud the revenueby any concealment or misinformation. No finding of recklessl malafide classification sought with regard to the goods sold has been arrived at. The dispute between the assessee and the revenue was bonafide and related merely to the issue of classification and consequent rate of tax under the 2003 Act leviable on pathe sale of goods by the i.e. TM Cream Toffee". The dispute was therefore a bonafide one as to the interpretation/classification of the products sold by the assessee for the purpose of levy of tax. Such a dispute did not supply any of the pre conditions for levy of penalty under Section 61 of the 2003 Act. The Tax Board has, for the principle on which penalty can be levied, relied upon the judgment of the Hon'ble Supreme Court in the case of Shree Krishna Electricals (supra), oddly the revision petition does not even have a whisper of a reason for the purported inapplicability of the aforesaid judgment to the matter in issue before the Tax Board. Quite apparently the petitioning revenue department seeks to overlook the facts of the case and the clear enunciation of law by the Hon'ble Supreme Court in the case of Shree Krishna Electricals (supra) as also elsewhere and mechanically agitate this misdirected revision petition. The question of law as sought to be agitated stands already settled by the judgment of the Hon'ble Supreme Court in the cases of Bharatiya Steel Industries (supra) and Shree Krishna Electricals (supra)...." राजस्थान उच्च न्यायालय ने वा.क.अ.ए.ई श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लि.

श्रीगंगानगर (2012) 32 टीयूडी 3 के प्रकरण में निम्न प्रकर से अभिनिर्धारित किया गया है:—
"However, as far as question of penalty u/s 61 of the Act is concerned, the imposition of the same by the Assessing Authority under Section 61 of

the Act of 2003 to the extent of double the amount of tax is concerned, the same cannot be sustained and deletion of penalty in these circumstances, where a debatable question was agitated by the rspondent-assessee before the appellate forums created under the Act, it cannot be said the assessee deliberately filed wrong returns or particulars of taxable turnover or malafide claimed 100% input tax credit. A benefit or doubt in this regard certainly goes in favour of respondent-assessee."

aminim

de

लगातार.....15.

चूंकि प्रकरणों में अन्तर कर का आरोपण ही विधिसम्मत नहीं है। तो उसी आधार पर आरोपित शास्ति भी विधिसम्मत नहीं ठहरायी जा सकती है। उपरोक्त विवेचन एवं विणित माननीय न्यायालयों के निर्णयों को ध्यानगत रखते हुये तथा वाद के तथ्यों को देखते हुये प्रकरणों में धारा 61 के तहत् आरोपित शास्तियां विधिसम्मत नहीं होने से उनको अपास्त करने में अपीलीय अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित नहीं की गयी है। अतः शास्ति अपास्त किये जाने के संबंध में अपीलीय अधिकारी का आदेश दिनांक 13.12.2016 पुष्ट किये जाने योग्य है।

- 22. परिणामस्वरूप व्यवहारी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 759/2017/जयपुर लगायत 763/2017/जयपुर आंशिक रूप से इस प्रकार स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिकीत उत्पाद माजा एवं मिनिट मेड आक्षेपित लेखा वर्षों में दिनांक 13.07.2014 तक राजस्थान वेट अधिनियम की अनुसूची IV की प्रविष्टि सं. 107 के अधीन कर योग्य होने से कर निर्धारण आदेश दिनांक 21.07.2016 में दिनांक 13.07.2014 तक का अन्तर कर एवं ब्याज अपास्त किया जाता है तथा उक्त दोनों बिकीत उत्पाद दिनांक 14.07.2014 से वेट अधिनियम की अनुसूची V के अन्तर्गत सामान्य कर दर से कर योग्य होने से दिनांक 14.07.2014 से उक्त उत्पादों पर आरोपित अन्तर कर एवं ब्याज के संबंध में कर निर्धारण आदेश की पुष्टि कर यथावत रखा जाता है। उपरोक्त विश्लेषण के अनुसार करारोपण हेतु प्रकरण सक्षम अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाते है।
- 23. विभाग / राजस्व द्वारा प्रस्तुत 2613 / 2016 / जयपुर लगायत 2617 / 2016 / जयपुर अस्वीकार की जाती है। अतः शास्ति के इन बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के निर्णय दिनांक 13.12.2016 की पुष्टि की जाती हैं।
- 24. निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति समस्त पत्रावलियों पर पृथक-पृथक रखी जाये।

(राजीव चौधरी) सदस्य

्री (वी. श्रीनिवास) अध्यक्ष